फूड-स्टाम्प प्रोग्राम में संशोधनों से और अधिक वैध आप्रवासी लाभ के पात्र बने

मैं संयुक्त राज्य का नागरिक नहीं हूँ। क्या मैं फूड-स्टाम्प ले सकता हूँ?

- आप **अभी** पात्र हो सकते हैं यदि आप वैध स्थायी निवासी हैं और यदि आप, आपके पति/पत्नी अथवा माता-पिता का संयुक्त राज्य में कोई कार्य रिकार्ड हो (फूड-स्टाम्प कार्यालय इसके निर्धारण में मदद कर सकेगा कि क्या आपने वांछित समय अवधि तक काम किया है)। वे लोग जो शरणार्थी के रूप में अमेरिका आए तथा कुछ प्रकार के आप्रवासी इसके पात्र हैं। आप भी पात्र हो सकते हैं यदि आप २२ अगस्त, १९९६ को संयुक्त राज्य में वैध रूप से रहते थे, ***और*** (१) उस समय आपकी उम्र ६५ वर्ष थी (२२ अगस्त, १९३१ अथवा पूर्व का जन्म), ***अथवा*** (२) अब आप विकलांगता भुगतान ले रहे हैं, ***अथवा*** (३) अभी आप १८ वर्ष से कम हैं। यदि आप संयुक्त राज्य में पाँच वर्ष तक योग्य स्थिति में रह चुके हों तब भी आप पात्र हो सकते हैं।

क्या संशोधन किये गये?

- १३ मई, २००२ को राष्ट्रपति बुश ने "फार्म सुरक्षा एवं ग्रामीण निवेश अधिनियम, २००२" (Farm Security and Rural Investment Act of 2002) के कानून पर हस्ताक्षर किये थे जिससे और अधिक कम आय वर्ग के गैरनागरिक और वैध आप्रवासी फूड-स्टाम्प प्राप्त कर सकेंगे यदि वे फूड-स्टाम्प प्रोग्राम की आय एवं संसाधन अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं।

नया कानून कब से लागू होगा?

- २००२ कानून द्वारा प्रभावित कुछ वैध आप्रवासी १ अक्तूबर, २००२ को फूड-स्टाम्प फायदे प्राप्त करने के लिए पात्र हो चुके हैं, परंतु अधिकतर उसके बाद भी कुछ समय तक पात्र नहीं बन सकेंगे। पात्रता शुरू होने के बारे में निम्नलिखित सूचना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

२००२ कानून उन वैध आप्रवासियों को पात्रता प्रदान करता है जो इस कार्यक्रम की अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं **तथा** जो:

✔ विकलांगता लाभ ले रहे हैं (जैसे एस एस आई या विकलांगता से संबंधित मेडीकेड) (इस वर्ग की पात्रता **१ अक्तूबर, २००२** से शुरू हो चुकी है);

✔ योग्य स्थिति में ५ वर्षों तक संयुक्त राज्य में रहे हों (इस वर्ग की पात्रता **१ अप्रैल, २००३** से शुरू हो चुकी है); अथवा

✔ १८ वर्ष से कम उम्र के हैं और संयुक्त राज्य में २२ अगस्त, १९९६ के बाद आए हैं (इस वर्ग के लिए पात्रता **१ अक्तूबर, २००३** से शुरू होती है)।

किन आप्रवासियों की स्थिति योग्य है?

- योग्य आप्रवासियों में शामिल हैं: वैध स्थायी निवासी (ग्रीनकार्ड के धारक), शरणार्थी, अनाथ, देश से निष्कासन अथवा स्थानांतरण से रोके गए लोग,क्यूबा/हैती से प्रविष्ट हुए लोग, वे व्यक्ति जिन्हें कम से कम एक वर्ष के लिए संयुक्त राज्य में आई एन एस (Immigration and Naturalization Service – INS) पैरोल मिला हो, सशर्त प्रवेशी और घरेलू हिंसा के कतिपय पीड़ित।

क्या इस कानून में उन आप्रवासियों के लिए नियम बदल गये हैं जो पहले से ही योग्य हैं?

- नहीं । हर व्यक्ति जो पहले पात्र था अब भी पात्र बना रहेगा।

क्या इस कानून में गैर-नागरिकों की पात्रता बढ़ाई गई है जो मानवीय कारणों से देश में हैं?

- हाँ । २००२ कानून के अनुसार, अब शरणार्थियों, अनाथों, अमेरिकी-एशियाईयों, तथा कयूबा एवं हैती से प्रवेशियों के लिए फूड-स्टाम्प पर सात वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। १ अप्रैल, २००३ से शुरू वर्ग में ये गैर-नागरिक पात्र रहेंगे जब तक वे आय एवं संसाधन पर आधारित कार्यक्रम की योग्यता रखेंगे।

क्या फूड-स्टाम्प प्रोग्राम तय करेगा कि मैं विकलांग हूँ?

- नहीं । आप मेडीकेड जैसे किसी प्रोग्राम से नेत्रविहीन अथवा विकलांग होने की वजह से लाभ अथवा सहायता प्राप्त कर रहे हों।

यदि मैं पात्र आप्रवासी नहीं हूँ फिर भी क्या मैं अपने नागरिक बच्चों के लिए लाभ प्राप्त कर सकता हूँ?

- हाँ । जब आप अपने बच्चों या अपने कुटुम्ब के अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अपने बारे में दस्तावेज़ पेश नहीं करने होंगे। हालांकि, आपको अपनी आय एवं संसाधन का प्रमाण दिखाना होगा ताकि कार्यकर्ता उनके लिए फूड-स्टाम्प लाभों की मात्रा तय कर सके।

क्या फूड-स्टाम्प प्राप्त करना मेरे नागरिक बनने में बाधा बनता है?

- नहीं । फूड-स्टाम्प प्राप्त करने से कोई आप्रवासी "शासकीय दण्ड" का भागी नहीं होता - अर्थात संयुक्त राज्य में मौजूद किसी आप्रवासी को इसलिए देश से निकाला, देश में प्रवेश से वंचित अथवा स्थायी स्थिति या "ग्रीन कार्ड" से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि वह फूड-स्टाम्प प्राप्त करता/करती है।

मैं कैसे आवेदन कर सकता अथवा अधिक जानकारी ले सकता हूँ?

- फूड-स्टाम्प लेने के लिए, आपको अपने स्थानीय फूड-स्टाम्प कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा, जोकि सामान्यतः स्थानीय कल्याण कार्यालय में अवस्थित होता है।
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने स्थानीय फूड-स्टाम्प कार्यालय से संपर्क करें जिसका नंबर स्थानीय फोन पुस्तिका के नीले पृष्ठों में "सामाजिक सेवा विभाग" (social services department) अथवा "कल्याण विभाग" (welfare department) के अंतर्गत मिल सकता है - अथवा राष्ट्रीय निःशुल्क नंबर **1-800-221-5689** पर फोन करें।
- राष्ट्रीय निःशुल्क नंबर पर स्पेनी भाषी ऑपरेटर उपलब्ध हैं।

फूड-स्टाम्प अमेरिका को शक्तिशाली बनाते हैं

यू एस डी ए (United States Department of Agriculture – USDA) समान अवसर प्रदाता एवं नियोक्ता है।